कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला करौली राज0 !!

प्रेस–नोट

दिनांकः– 11.01.2018

☞ *60 ग्राम अवैध स्मैक व 18 ग्रम 860 मिलीग्राम स्मैक दूध सहित दो आरोपी गिरफ्तार –*

पुलिस अधीक्षक करौली, अनिल कयाल के निर्देशन में जिले में अवैध रूप से मादक पदार्थो के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 10.01.2018 को थाना सदर हिण्डौन व थाना हिण्डौनसिटी द्वारा कार्यवाही करते हुये 60 ग्राम अवैध स्मैक व 18 ग्रम 860 मिलीग्राम स्मैक दूध सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई।

थाना सदर हिण्डौन :– थाना सदर हिण्डौन इलाका क्षेत्र में मादक पदार्थो के बिक्री की सूचना कई दिनों से प्राप्त हो रही थी। दिनांक 10.01.18 को जरिये मुखबिर सूचना मिली की एक व्यक्ति गांव फैलीपुरा में हनुमान मन्दिर के पास स्मैक लेकर आ रहा है। जिस पर थानाधिकारी सदर हिण्डौन रामवीर उप निरीक्षक को कार्यवाही करने हेतु सांकेतिक स्थान पर रवाना किया। थानाधिकारी मय जाप्ता के सांकेतिक स्थान पर पहुंचा तो एक व्यक्ति हनुमान मन्दिर के पास खडा दिखाई दिया जो पुलिस गाडी को देखकर वापस जाने लगा। जिसे थानाधिकारी ने मय जाप्ता की मदद से पकडा और नाम पता पूछा तो अपना नाम प्रेमसिंह पुत्र सुगर जाति मीना निवासी फैलीकापुरा थाना सदर हिण्डौन जिला करौली का होना बताया । प्रेमसिंह की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से एक थैली में अवैध मादक पदार्थ स्मैक मिला। उक्त मादक पदार्थ के रखने तथा परिवहन करने का प्रेमसिंह से अनुज्ञा पत्र मांगा तो नहीं होना बताया। प्रेमसिंह को मौके पर गिरफ्तार कर स्मैक का शुद्व बजन 60 ग्राम अवैध मादक प्रदार्थ स्मैक बरामद की जिस पर थाना सदर हिण्डौन पर अभियोग संख्या 18/18 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। मुल्जिम प्रेमसिंह से अवैध स्मैक के कारोबार में लिप्त अन्य व्यक्तियों के बारे में कडाई से पूछताछ की जा रही है।

थाना हिण्डौनसिटी :– थाना हिण्डौनसिटी इलाका क्षेत्र में मादक पदार्थो के बिक्री की सूचना कई दिनों से प्राप्त हो रही थी। दिनांक 10.01.18 को जरिये मुखबिर सूचना मिली की एक व्यक्ति बयाना मोड के पास स्मैक का दूध लेकर आ रहा है। जिस पर पोपसिंह उप निरीक्षक को कार्यवाही करने हेतु सांकेतिक स्थान पर रवाना किया। पोपसिंह उपनिरीक्षक मय जाप्ता के सांकेतिक स्थान पर पहुंचा तो एक व्यक्ति बयाना मोड के पास खडा दिखाई दिया जो पुलिस गाडी को देखकर वापस जाने लगा। जिसे पोपसिंह उपनिरीक्षक ने मय जाप्ता की मदद से पकडा और नाम पता पूछा तो अपना नाम सुरेश पुत्र मियासिह जाति सिक्ख जाट निवासी विधिया थाना सिकामण्डी जिला केथल (हरियाणा) का होना बताया । सुरेश की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से एक प्लास्टिक की सीसी में अवैध मादक पदार्थ स्मैक का दूध मिला। उक्त मादक पदार्थ के रखने तथा परिवहन करने का सुरेश से अनुज्ञा पत्र मांगा तो नहीं होना बताया। सुरेश को मौके पर गिरफ्तार कर स्मैक के दूध का शुद्व बजन 18 ग्राम 860 मिलीग्रम अवैध मादक प्रदार्थ स्मैक का दूध बरामद की जिस पर थाना हिण्डौनसिटी पर अभियोग संख्या 44/18 धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। मुल्जिम सुरेश से अवैध स्मैक के कारोबार में लिप्त अन्य व्यक्तियों के बारे में कडाई से पूछताछ की जा रही है।

☞ *फरार गौवंश तस्कर गिरफ्तार –*

थाना हिण्डौनसिटी– दिनांक 30.12.2017 को अघ्यात्म गौतम, पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी हिण्डौनसिटी के द्वारा रावण की रूण्डी के पास अवैध रूप से ट्रक में भरकर ले जा रहे गौवंश को मुक्त करा अभियोग संख्या 917/17 धारा 5,6,8 गौवंश अधिनियम व 11(1)डी, 11(1)इ पशु क्रूरता अधिनियम में पंजीबद्व करवाया जिसमें बाद अनुसंधान फरार आरोपी 1. इरफान पुत्र फकीर मोहम्मद 02. कमरूद्वीन पुत्र चांद मोहम्मद जातियान मुसलमान निवासीयान गुनीया थाना केकडी जिला अलवर 03. रहमान पुत्र गुलाम जातियान मुसलमान निवासी इस्लामपुरा चांद की ढाणी थाना डिग्गी जिला टोंक को दिनांक 10.1.2018 को रूपसिंह उपनिरीक्षक के द्वारा कस्बा हिण्डौनसिटी से गिरफ्तार किया गया।

☞ *शांति भंग करने पर 01 व्यक्ति गिरफ्तार –*

थाना सपोटरा– दिनांक 11.1.2018 को हरवीरसिंह हैडकानि0 57 के द्वारा कस्बा सपोटरा में गाली गलोंच कर मरने मारने पर उतारू होने एवं पुलिस द्वारा समझाईस करने पर भी नहीं मानने पर आरोपी 1. धनराज पुत्र जौहरी जाति मीना निवासी चैनपुर थाना कुडगांव को धारा 151 सी.आर.पी.सी. में गिरफ्तार किया गया।